संख्या - 2373 / 38-5-2003

प्रेषक,

श्री अरूण आर्या
सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

अपर निदेशक / वित्त नियंत्रक
आवश्यक कार्यवाही हेतु
2/8/03

सेवा में

मिशन निदेशक,
सेक्टर रिफार्म पायलट प्रोजेक्ट (जलनिधि परियोजना),
ग्राम्य विकास विभाग,
लखनऊ।

(अरूण आर्या)
सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग--5 लखनऊ : दिनांक 21 अगस्त,2003

विषय :जलनिधि एवं स्वजलधारा के कियान्वयन के लिए पदों का सृजन किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 361 / डब्लू--314 / 2003 दिनॉक 14.07.03 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजीव गॉधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन भारत सरकार द्वारा संचालित सेक्टर रिफार्म पायलट प्रोजेक्ट (जलनिधि परियोजना), एवं स्वजल धारा कार्यकम के कियान्वयन हेतु निम्नलिखित अस्थाई पदों को शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा पदों को भरे जाने की तिथि जो भी बाद में हो, उनके सम्मुख वेतनमान में सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

कम0 सं0	पद	पद सं0	वेतनमान	भर्ती का श्रोत	पात्रता
1	मिशन निदेशक	1	18400--22400	प्रतिनियुक्ति	भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी
	निजी सचिव	1		हायर्ड बेसिस	5 वर्ष का स्टेनो तथा कम्प्यूटर का ज्ञान
	अपर निदेशक	1	16400 20000	प्रतिनियुक्ति	पी0सी0एस0 संवर्ग का वरिष्ट अधिकारी अथवा 16400--20000 वेतनमान में कार्यरत वरिष्ट अनुभवी अधिकारी
	स्टेनोग्राफर	1		हायर्ड बेसिस	3 वर्ष का स्टेनो तथा कम्प्यूटर का ज्ञान

2. वित्त एवं लेखा यूनिट					
	वित्तीय सलाहकार / वित्त अधिकारी	1	10000--15200	प्रतिनियुक्ति	प्रादेशिक वित्त सेवा संवर्ग के वेतनमान 10000--15200 के अधिकारी
	[illegible]	2	5500--9000	प्रतिनियुक्ति	प्रस्तावित वेतनमान से एक कम नीचे वाणिज्य स्नातक योग्यताधारी राजकीय विभाग में कम से कम 7 वर्ष सहायक लेखाकार के पद पर कार्य करने का अनुभव
	कैशियर	1	5000--8000	प्रतिनियुक्ति	लेखों के ज्ञान का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।
	स्टेनोग्राफर	1		हायर्ड बेसिस	3 वर्ष का स्टेनो तथा कम्प्यूटर का ज्ञान
	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	2		हायर्ड बेसिस	कम्प्यूटर पर कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव
3. तकनीकी यूनिट					
	यूनिट कोर्डिनेटर (चीफ इंजीनियर रैंक)	1	16400--20000	प्रतिनियुक्ति / अनुबन्ध	प्रस्तावित वेतनमान से एक कम नीचे के वेतनमान के अनुभवी सिविल इंजीनियर
	जलापूर्ति इंजीनियर (एक्जीक्यूटिव इंजीनियर रैंक)	1	12000--16500	प्रतिनियुक्ति	प्रस्तावित वेतनमान से एक कम नीचे के वेतनमान के अनुभवी अभियन्ता जिनको पेयजल योजना का पॉच वर्ष का अनुभव प्राप्त हो
	[redacted]	1		प्रतिनियुक्ति / अनुबन्ध	पेयजल योजना में तीन वर्ष का कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो
	[redacted]	1		प्रतिनियुक्ति / अनुबन्ध	प्रस्तावित वेतनमान से एक कम नीचे के वेतनमान के अनुभवी अभियन्ता अथवा पेयजल योजना का पॉच वर्ष का अनुभव प्राप्त हो
	स्टेनोग्राफर	1		हायर्ड बेसिस	3 वर्ष का स्टेनो तथा कम्प्यूटर का ज्ञान
	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	2		हायर्ड बेसिस	कम्प्यूटर पर कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव

Scanned with OKEN Scanner

4. संस्थागत विकास यूनिट					
	संस्थागत विकास विशेषज्ञ (तकनीकी)	1		अनुबन्ध	संस्थागत विकास हेतु 3 वर्ष का अनुभव
	क्षमता संवर्धन विशेषज्ञ	1	12000–16500	अनुबन्ध	सम्बन्धित कार्य का 3 वर्ष का अनुभव
	महिला विकास विशेषज्ञ	1		अनुबन्ध	सम्बन्धित कार्य का 3 वर्ष का अनुभव
	सूचना शिक्षा एवं प्रचार विशेषज्ञ	1		अनुबन्ध	सम्बन्धित कार्य का 3 वर्ष का अनुभव
	स्टेनोग्राफर	1		हायर्ड बेसिस	3 वर्ष का स्टेनो तथा कम्प्यूटर का ज्ञान
	डाटा इन्ट्री आपरेटर	1		हायर्ड बेसिस	कम्प्यूटर पर कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव
5.अनुश्रवण एवं मूल्यांकन यूनिट					
	यूनिट कोर्डिनेटर (एम0 एण्ड ई0)	1		अनुबन्ध	सम्बन्धित कार्य का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव
	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विशेषज्ञ	1		प्रतिनियुक्ति	ग्रामीण पेयजल योजना में कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव
	प्रोग्रामर	2		हायर्ड बेसिस	
	डाटा इन्ट्री आपरेटर	2		हायर्ड बेसिस	कम्प्यूटर पर कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव
	ड्राइवर	1	3050–4590	प्रतिनियुक्ति	
	रनर / गार्ड	4		हायर्ड बेसिस	
	कुल	35			

2. अनुबन्ध पर कन्सलटैट्स की सेवाएँ प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए ली जायेगी जिसे आवश्यकतानुसार परफारमेन्स के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

3. संविदा के आधार पर सृजित पदों पर भर्ती केवल एक वर्ष के लिए ही की जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर ली जाये की संविदा का आलेख विधिक दृष्टिकोण से ऐसा हो कि संविदा की अवधि समाप्ति होने पर कार्मिक पुनः किसी प्रकार का दावा राज्य से न कर सके। संविदा प्रारम्भ करने के पूर्व उनसे इस हेतु डीड निस्पादित कर ली जाये।

4. अनुबन्ध / संविदा पर भरे जाने वाले पदों को छोड़कर उपर्युक्त अस्थाई रूप से सृजित पदों के पदधारकों को वेतन के साथ–साथ शासन द्वारा समय –समय पर जारी आदेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि देय होंगे। इन पदों को बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी समाप्त किया जा सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

5. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हेतु स्वीकृत आउटाईड पद प्रतिनियुक्ति पर भरे जायेंगे तथा यह पेयजल विभाग एवं उनके पैतृक विभाग का दायित्व होगा कि प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप रिक्त हुए पदों पर कोई भी नई नियुक्ति की जायेगी और न ही इन रिक्त पदों के विरूद्ध दैनिक वेतन पर कोई नियुक्ति की जायेगी।

6. प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पदों पर यदि निश्चित समयावधि में उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो उक्त पदों को अनुबन्ध के आधार पर भरा जायेगा।

7. हायर्ड बिसिस पर तैनात किये जाने वाले कार्मिक सार्वजनिक उपक्रमों एवं शासन द्वारा नामित संस्थाओं से समूह संविदा पर लिए जायेंगे तथा इनका कोई भी लियन आदि पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से स्थापित नहीं किया जायेगा, प्रतिनियुक्ति के पदों के वेतन आदि की गणना कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत समय समय पर शासनादेशों के अनुसार ही किया जाय।

8. उपरोक्त स्वीकृत पदों पर होने वाला व्यय राजीव गाँधी पेयजल मिशन भारत सरकार द्वारा संचालित सेक्टर रिफार्म पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि से वहन किया जायेगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या -- 891/व्रस --2003 दिनाँक 06अगस्त 2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरूण आर्या)
सचिव।

संख्या 2375 (1)/38--5--2003 तद्दिनाँक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव एवं सचिव।
3. सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष।
4. मिशन निदेशक, उ0 प्र0 पेयजल एवं स्वच्छता मिशन।
5. वित्त निदेशक / वित्त नियंत्रक उ0 प्र0 पेयजल एवं स्वच्छता मिशन।
6. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
7. निदेशक, राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग--2 / नियोजना अनुभाग --3 एवं 4 ।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(अरूण आर्या)
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner